भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.323

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट निधि

323 श्री राजकुमार रोत:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेसा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कंपनियों की स्थापना के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है;

(ख) क्या पेसा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कंपनियों की स्थापना करते समय स्थानीय जनजातीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में डूंगरपुर-बांसवाड़ा में कितनी खाने संचालित की जा रही हैं और इन खानों द्वारा वर्ष 2015 से अब तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की निधि में कितनी राशि जमा की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान डूंगरपुर-बांसवाड़ा में डीएमएफटी निधि का उपयोग करते हुए किए गए कार्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(झ) के प्रावधानों के अनुसार, विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 4(ट) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा देने से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य की जाएंगी।

उक्त अधिनियम की धारा 4(ठ) में प्रावधान है कि नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य की जाएगी।

खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती हैं। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टे के निष्पादन से पहले, परियोजना प्रस्तावक के लिए जहां भी लागू हो, ग्राम सभा की सहमति सहित अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 12(1)(ठ) के प्रावधानों के अनुसार, पट्टाधारक रोजगार के मामले में जनजातियों और खनन कार्य शुरू करने के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे।

(ग): खान मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों में संचालित की जा रही खानों की संख्या और इन खानों द्वारा वर्ष 2015 से जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि में जमा की गई राशि नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**जिला**	**संचालित की जा रही खानों की संख्या (गौण खनिजों सहित)**	**वर्ष 2015 से डीएमएफटी के तहत जमा की गई राशि**
1	डूंगरपुर	174	16.35 करोड़ रुपये
2	बांसवाड़ा	159	52.72 करोड़ रुपये

(घ): उक्त अवधि के दौरान डीएमएफटी निधि का उपयोग करके डूंगरपुर-बांसवाड़ा में किए गए कार्यों का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**जिला**	**पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**
1	डूंगरपुर	45	6.54 करोड़ रुपये
2	बांसवाड़ा	173	37.27 करोड़ रुपये

*****